

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 01 / दुरुस्ती / एन टी / 2025

तारीख पेशी : 10-02-2025

श्री काकू राम पुत्र मेहर सिंह, गांव मलहन्ता, डा0 दियाणा, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 38(2) नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

श्री काकू राम पुत्र मेहर सिंह, गांव मलहन्ता, डा0 दियाणा, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती हेतु गुजारा है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम उसके स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में व पंचायत रिकार्ड में काकू राम पुत्र मेहर सिंह दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मलहन्ता में काका राम पुत्र मेहरो पुत्र जगता दर्ज है, जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार काका राम पुत्र मेहरो के बजाए काकू राम पुत्र मेहर सिंह पुत्र जगता दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम को महाल हजा में दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-02-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थी के नाम काकू राम पुत्र मेहर सिंह पुत्र जगता महाल मलहन्ता, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 11-02-2025

श्री प्रमोद सिंह उम्र 64 वर्ष पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी गांव व डा0 सिहुआं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री सुदामा राम पुत्र श्री सिहणू, निवासी गांव व डा0 सिहुआं, तहसील शाहपुर, जिला

कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 01-06-1971 को गांव सिहुआं में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सिहुआं में दर्ज न करवा सकें। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत सिहुआं के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-02-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 11-02-2025

श्री केवल कुमार 67 वर्ष पुत्र श्री भगतू निवासी गांव व डा0 सिहुआं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री भगतू पुत्र श्री गोपी, निवासी गांव व डा0 सिहुआं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 06-08-1977 को गांव सिहुआं में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सिहुआं में दर्ज न करवा सकें। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत सिहुआं के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-02-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Ankur Choudhary s/o Late Sh. Baldev Singh, r/o V.P.O. Mandal, Tehsil Dharamshala,
District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ankur Choudhary s/o Late Sh. Baldev Singh, r/o V.P.O. Mandal, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Ankur Choudhary s/o Late Sh. Baldev Singh का जन्म/मृत्यु दिनांक 17-12-1984 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Mandal में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न हुआ है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा इश्तहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ankur Choudhary के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-02-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Kusum Tamang d/o Pasag Thapa s/o Judh Veer, r/o Ward No. 13, Mahal Jhikli Dari, P.O.
Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Kusum Tamang d/o Pasag Thapa s/o Judh Veer, r/o Ward No. 13, Mahal Jhikli Dari, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Kusum Tamang d/o Smt. Pul Maya w/o Pasag Thapa का जन्म/मृत्यु दिनांक 27-03-1981 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न हुआ है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kusum Tamang के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17-02-2025

को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Ajay Kumar s/o Arjun Singh Thapa, r/o V.P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ajay Kumar s/o Arjun Singh Thapa, r/o V.P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Daughter Grima Thapa d/o Ajay Kumar & Smt. Poonam Thapa का जन्म/मृत्यु दिनांक 23-12-1992 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न हुआ है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा इशतहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 22-02-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Santokh Singh s/o Bela Singh, r/o Tika Bani, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Santokh Singh s/o Bela Singh, r/o Tika Bani, P.O.Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Lakhbir Singh s/o Santokh Singh का जन्म/मृत्यु दिनांक 03-06-1986 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न हुआ है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इशतहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lakhbir Singh के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 22-02-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकदमा : तकसीम

केस नं0 : 53 / 20

रुचि पुत्री रमेश चंद पुत्र बदरी, निवासी महाल अंदराड़, मौजा नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री अशुल शर्मा पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र सुरजमान, निवासी महाल अंदराड़, मौजा नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. कल्याण चंद, 2. उत्तम चंद कंचना देवी पुत्री व अजूध्या देवी विधवा भगवान दास, 5. सुरेश कुमार पुत्र, 6. साजो देवी पुत्री व 7. शकुंतला देवी विधवा ठाकुर दास, 8. अनिल कुमार पुत्र व 9. अरुणा देवी विधवा ईश्वर दास, 10. जाती दास पुत्र व 11. विमला देवी पुत्री रसालु, 12. अनिरुद्ध, 13. ईश्वर दास, 14. करब, 15. ओम प्रकाश पुत्र व 16. संध्या देवी पुत्री मनी राम, 17. उधो पुत्र व 18. सर्वश्रीमती धनी देवी, 19. मनसा, 20. निर्मला, 21. निममो, 22. उर्मिला पुत्रियां महाजन, 23. अजीत कुमार पुत्र वंशीधर, 24. श्याम, 25. सुबोध कुमार पुत्र व 26. नरोत्मा देवी, 27. नीना देवी पुत्रियां बिशन दास, 29. अदित्या पुत्र मदन लाल, 30. सलगधर पुत्र व 31. सरस्वती देवी Through LRS a उंखा देवी b चंचला देवी, 32. जेशी राम पुत्र अबातु, 33. नरिंदर पाठक पुत्र बलदेव चंद, 34. संजय गुप्ता पुत्र S S Gupta 35. प्यारे लाल पुत्र अच्छर राम, 36. अनिल कुमार पुत्र बलिया, 37. अजय कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी महाल कार्डियाना, मौजा तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं० 6, खतौनी नं० 18 ता 22, खसरा कित्ता 14, रकबा तादादी 00—95—44—84 है० वाक्या महाल कार्डियाना, मौजा नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र० जमाबंदी साल 2012—13

प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया रुचि पुत्री रमेश चंद पुत्र बदरी, निवासी महाल अंदराड़, मौजा नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र० बजरिया मुखत्यारे आम श्री अशुल शर्मा पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र सुरजमान, निवासी महाल अंदराड़, मौजा नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने प्रार्थना पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 13—02—2025 को प्रात 11:00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी /तहसीलदार, मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 01/ 2025

तारीख पेशी : 20—02—2025

अनुवाद.—पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करना।

कुसमा देवी पुत्री ज्वालू राम, गांव लुवाई, डा० लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा व हाल पत्नी जय राम, गांव अर्जून बहाल, डा० चकमोह, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया कुसमा देवी पुत्री ज्वालू राम ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 17—01—1973 को गांव लुवाई, डा० लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हि० प्र० में हुआ है। जिसका जन्म पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत मुलथान के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुलथान के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20—02—2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर

न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी /तहसीलदार,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी /तहसीलदार, मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/ 2025

तारीख पेशी : 20-02-2025

अनुवाद.—पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करना।

रीना देवी पुत्री भोसनु राम, गांव तरमेहर, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा व हाल पत्नी राजकुमार, गांव भगेड़ बुहला, डा0 बीड़, तहसील टिहरा सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधिन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया रीना देवी पुत्री भोसनु राम ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1988 को गांव तरमेहर, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है, जिसका जन्म पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत मुलथान के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुलथान के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी /तहसीलदार,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01 / 2025

तारीख पेशी : 20-02-2025

किशन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र रूलदू, निवासी गांव व डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक किशन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र रूलदू, निवासी गांव व डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में किशन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र रूलदू है, परन्तु महाल बड़ाग्रां के राजस्व अभिलेख में चूहड़ा राम पुत्र राम सिंह पुत्र रूलदू दर्ज हुआ है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके चूहड़ा राम उपनाम किशन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र रूलदू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है, अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-01-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।